

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

4-8-22

आज यह पत्रावली पेश की गई। वादी एवं उनके अधिवक्ता कोई भी उपस्थित नहीं है। वादी एवं उनके अधिवक्ता को बार-बार आवाज दिलायी गई। किन्तु वादी एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं आये। वादी की अदम हजरी एवं अदम पेश्वी बसूची साबित होती है। अतः यह वाद/प्रार्थना पत्र वादी की अदम हजरी व अदम पेश्वी के अर्थ में स्वीकार किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर न्यायालय लेख भण्डार अलवर जमा करवाई जावें।

**उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर) राज**

सेवामें,

न्यायलय उप
नीमराना जिल
राजस्व वाद पत्र सं.

1. अमरसिंह उम्र 70 वर्ष
तहसील नीमराना जिल
1. राजस्थान सरकार ज
अलवर राज0

श्रीमान्

बयान दावा निम्न प्र

1. यह है कि मिन वादी प्रतिवादी सं0 1 राज्य सरकार
2. यह है कि आराजी र 18 है0, 281/1753 रकबा है0, 1319 रकबा 0.04 है0 नम्बरान के संवत 2020 से पूर्व के संलग्न है।
3. यह है कि मिन वादी मिन वादी के आधार कार्ड, दस्तावेजात मे भी मिन व

